

कार्यालय निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, नेहरू नगर, जयपुर


क्रमांक:-प-11(28)आरपीए/प्रशिक्षण/बीपीआरएण्डडी/2023/121

दिनांक:- 23/01/2024

संशोधित आदेश


राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर में दिनांक, 29.01.2024 से 02.02.2024, 05.02.2024 से 09.02.2024, 26.02.2024 से 01.03.2024, एवं 18.03.2024 से 22.03.2024 तक Training Course Of "Investigators on Women's Safety" एवं दिनांक 19.02.2024 से 23.02.2024, 11.03.2024 से 15.03.2024 तक Training Course Of "Prosecutors on Women's Safety" विषय पर बीपीआर एण्ड डी, नई दिल्ली के सौजन्य से प्रायोजित किया जा रहा है। उक्त प्रशिक्षण कोर्स सहायक निदेशक (सीडीपीएसएम) आरपीए, जयपुर के निर्देशन में आयोजित किया जावेगा। उक्त कोर्सों में क्रमशः सहायक उप निरीक्षक से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के लगभग 50 अधिकारी एवं अभियोजन सेवा संवर्ग के 45 सहायक निदेशक अभियोजन अधिकारी/अभियोजन अधिकारी राजस्थान पुलिस से अपनी उपस्थिति प्रस्तुत करेंगे। निर्देशानुसार उक्त प्रशिक्षण कोर्स संबंधी निम्नलिखित व्यवस्थायें समय पर सुनिश्चित किये जाने हेतु निम्न अधिकारियों को नियुक्त किया जाता है, जो सहायक निदेशक (सीडीपीएसएम) आरपीए जयपुर के निर्देशानुसार कोर्स आयोजित किया जावेगा :-

1. श्री नवीन खण्डेलवाल पुलिस निरीक्षक को कोर्स डायरेक्टर तथा सुश्री आरती सिंह उप निरीक्षक आरपीए, जयपुर को सहायक कोर्स डायरेक्टर नियुक्त किया जाकर उक्त कोर्सों की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
- नोट :- 1. उक्त कोर्स सहायक निदेशक (सीडीपीएसएम) के निर्देशन में आयोजित होंगे।
2. उपरोक्त सभी कोर्सों में मानोनीत कोर्स डायरेक्टर एवं सहायक कोर्स डायरेक्टर इस कार्यालय द्वारा जारी किये गये स्थाई आदेश सं. 02/2017 के पत्रांक 3580-87 दिनांक 12.05.2017 में दिये गये आदेश की पालना किया जाना सुनिश्चित करें।


उप निदेशक एवं प्राचार्य,
राजस्थान पुलिस अकादमी,
जयपुर।

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सहायक निदेशक (प्रशासन/इन्डोर/सीडीपीएसएम/आउटडोर/सीओई) आरपीए, जयपुर।
2. सहायक निदेशक आउटडोर को भेजकर लेख है कि कोर्स में सम्मिलित होने वाले प्रतिभागियों को योगा/पीटी/जिम एक्टीविटी कोर्स मोड्यूल में दिये गये समयानुसार करवाना सुनिश्चित करावें।
3. श्री नवीन खण्डेलवाल पुलिस निरीक्षक आरपीए, जयपुर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त कोर्सों के मॉड्यूल 03 दिवस में तैयार कर प्रशिक्षण शाखा में उपलब्ध करावें एवं उपरोक्त कोर्स रिपोर्ट उच्चधिकारियों के अनुमोदन पश्चात् आरपीए की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु प्रोग्रामर को उपलब्ध करावें साथ ही कोर्स समाप्ति पर कोर्स से संबंधित व्यय बिल एवं बाउचर व कोर्स रिपोर्ट प्रमाणित कर प्रभारी प्रशिक्षण शाखा के ग्रुप-3 को उपलब्ध करावें।
4. सुश्री आरती सिंह उप निरीक्षक आरपीए, जयपुर सहायक कोर्स डायरेक्टर को पालनार्थ।
5. प्रोग्रामर, आरपीए, जयपुर को पालनार्थ।
6. संचित निरीक्षक (प्रशासन) आरपीए, जयपुर को भेजकर लेख है कि श्रीमती पुष्पा कानि0 नं0 124 की उक्त अवधि में अन्य कोई ड्यूटी नहीं लगावें। उक्त कोर्सों हेतु चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लगाना सुनिश्चित करें।
7. श्रीमती पुष्पा कानि0 नं0 124 आरपीए, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त कोर्सों में कम्प्यूटर का समस्त कार्य समय पर किया जाना सुनिश्चित करें।
8. श्री हनुमान लाल हैड कानि. 49 को कोर्स से सम्बंधित कोर्स सामग्री उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।
9. श्री सत्यपाल हैड कानि0 225 व श्री रामनारायण हैड कानि0 1218 श्री रविन्द्र सिंह, कानि0 248 आर0पी0ए0 जयपुर को पालनार्थ।
10. प्रभारी कौटिल्य सदन/मनुसदन/बनास/मरूधर हॉस्टल, आरपीए जयपुर।
11. नोटिस बोर्ड।


उप निदेशक एवं प्राचार्य,
राजस्थान पुलिस अकादमी,
जयपुर।